राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	135/2018, 136/2018 विमला देवी बनाम महादेव हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/11/2025	पत्रावलीयां प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रकरण की इस स्टेज पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है। अत: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी अस्वीकार कर ख़ारिज किया जाता है। तत्पश्चात अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों अपील पत्रावलीयो पर सुनी गयी। पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 26/11/2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
26/11/2025	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 20/06/2017 पारित करते हुये तहसीलदार कोटखावदा को विवादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 392, 408, 409 किता 3 रकबा 1.56 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 491, 492, 493, 496, 497 किता 5 रकबा 1.37 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 388 रकबा 0.01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 489, 490 किता 2 रकबा 2.06 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 386, 387, 389 किता 03 रकबा 1.15 हैक्टेयर वाके ग्राम फिरोजपुरा उर्फ़ बीबी का बाढ़ का तकासमा मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये, जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 21/12/2017 पारित की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 20/06/2017 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 21/12/2017 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष पृथक-पृथक दो अपीले क्रमश: 136/2018 एवं 135/2018 प्रस्तुत की गयी है। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। चूँकि दोनों अपीले एक ही वाद में पारित निर्णय व डिक्रीयो के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे पक्षकारान भी समान है। अत: दोनों अपीलों पर अधिवक्ता उभयपक्ष की ईकजाई बहस समायत की गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस में मुख्य आपत्ति यही जाहिर की गयी है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल वादीगण का खाता व लगान अलग से कायम किया गया है जबकि सभी सहखातेदारान का विभाजन करते हुए सभी सहखातेदारान का खाता व लगान भिन्न-भिन्न कायम किया जाना चाहिये था। इस राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	विमला देवी बनाम महादेव 135/2018, 136/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीयो के अवलोकन किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 20/06/2017 में कोई विधिक त्रुटी जाहिर नही होने से उसमे कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है एवं जहाँ तक अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री का प्रश्न है तो अपीलार्थी द्वारा उद्धरित आपत्ति इस आशय से उचित प्रतीत होती है कि अधीनस्थ न्यायालय को प्रश्नाधीन खाते के सभी सहखातेदारान का विभाजन सुनिश्चित करते हुए अलग-अलग खाता व लगान कायम किया जाना विधिअनुसार आवश्यक होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 21/12/2017 के माध्यम से वादीगण महादेव पुत्र श्री भौरीलाल, प्रतिवादी सुनीता बाखरू पत्नी श्री प्रकाश भाखरु, प्रकाश भाखरु के किये गये विभाजन को यथावत रखते हुये इस हद तक अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 21/12/2017 को यथावत रखा जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नाधीन खाते की आराजीयात में विभाजन से शेष रहे पक्षकारान/सहखातेदार का भी विधिवत विभाजन किये जाने हेतु विभाजन से शेष रही सयुक्त खाते की भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार से कुर्रेजात प्रस्ताव तलब कर विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये शेष पक्षकारान/सहखातेदारान का भी विधिसम्मत विभाजन करते हुये अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करे | तदनुसार अपील संख्या 136/2018 एवं 135/2018 निस्तारित की जाती है |

पत्रावलीयां फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 26/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर